



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 3237 / रेनुकूट / 15-26 दिनांक, रेनुकूट, मार्च, 24, 2023
सेवा में,

सी०ओ०ओ०
मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०
रेनुकूट-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को 132 के०बी० विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे० आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1-उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या- पी० 38/81-2-2023-800(14)/2023 दिनांक- 20.03.2023
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या-3033/11-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-23.03.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 20.03.2023 द्वारा द्वारा इंगित बिन्दुओं पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में तैयार कराते हुए पॉच प्रतियो मे इस कार्यालय मे उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि उच्च स्तर के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन की सेवा मे प्रेषित की जा सके ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 मार्च 2023
विषय- जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारंपण लाईन के खम्भी आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर री गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/140402/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2272/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/140402/2021 दिनांक 09.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कर्तव्यों पायी गई है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-2 पर रक्षित गैर वनभूमि का स्वामित्व किसका है ?
2. प्रस्ताव के पृष्ठ-23 पर रक्षित मक डिस्पोजल योजना अनुमत्य न होने कारण जबकि अलग-अलग अवधि में दिया गया है ? स्पष्ट किया जाय।
3. प्रस्तावित परियोजना में समतुल्य गैर वनभूमि लिये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचनबद्धता संलग्न नहीं है। क्या समतुल्य गैर वनभूमि नहीं लिया जायेगा है। कारण बतायें ?
4. विषयगत प्रकरण फ्रैस लीज जैसा व्यवहृत किया जाता है ?
5. वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णतः की जांच हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3261/81-2-2022-600(60)/2000 दिनांक 10.01.2023 द्वारा गठित समिति राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्कीमिंग कमेटी (PSC) के अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया जाय।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ-22 पर रक्षित प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है ?
7. प्रस्ताव में परियोजना की श्रेणी पारंपण लाईन तो है, परन्तु किस सीमा तक लॉनियर माना जाय ? स्पष्ट किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-3033/11-सी-FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांक: मार्च 23, 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर विन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर विन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।